रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1992/भाद्र 17, 1914
No. 167] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1992/BHADRA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 41 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992

विषय :—लाइसेंसिंग अवधि 1991-92 के दौरान तथा इसके पहले जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों को डेबिट करने की प्रक्रिया (पास बुक को छोड़कर) ।

फा. सं. एच बी/15/1/92—97 :—लाइसेंसिंग अवधि 1991-92 के दौरान तथा इसके पहले जारी किए गए शुल्क छूट योजना (पास बुक को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले लाइसेंसधारियों ने यह अभ्यावेदन किया है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी विनिमय की बाजारू दर प्रयुक्त होने के कारण आयातों के रुपए में हुई वृद्धि को माफ नहीं कर रहे हैं और लाइसेंसों तथा डी ई ई सी पुस्तिका में निर्दिष्ट रुपए मूल्य के अतिरिक्त मूल्य पर शुल्क की अदायगी करने पर जोर दे रहे हैं। इस कठिनाई से बचने के लिए निर्यात आयात नीति (1992—97) के पैरा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय किया गया है कि लाइसेंसिंग अवधि, 1991-92 के दौरान तथा इसके पहले शुल्क छूट योजना के अंतर्गत जारी किए लाइसेंसों को डेबिट करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

2. जहां लाइसेंसधारी ने मात्रा तथा मूल्य के अनुसार निर्यात आभार का निष्पादन पूरी तरह किया हो, ऐसे मामलों में सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसे लाइसेंस के जारी होने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लाइसेंस में रुपयों में निर्दिष्ट आयात मूल्य को उनके द्वारा समय-समय पर यथा-घोषित "विनिमय दर" के अनुसार अमरीकी डालर में परिवर्तित कर देंगे । अमरीकी डालर में इस प्रकार निर्धारित किए गए मूल्य को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस और डी ई ई सी पास बुक में पृष्ठांकित किया जाएगा । ऐसे लाइसेंसों तथा डी ई ई सी बुक के मद्दे डेबिट प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 231 और 232 के प्रावधानों के अनुसार चालू नीति अवधि 1992—97 में जारी किए गए लाइसेंसों के सममूल्य पर किए जाएंगे । पहले से किए गए प्रारम्भिक डेबिटों को भी इसी प्रकार विनियमित किया जाएगा । इसलिए पृथक-पृथक मामलों में आगत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से विशिष्ट पृष्ठांकन करवाना आवश्यक नहीं होगा ।

दृष्टान्त :—

माना कि कुल 100/-रुपए के आगत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए 5 फरवरी, 1991 को कोई लाइसेंस जारी किया गया तथा उस तारीख को प्रचलित "विनिमय दर" 5 अमरीकी डालर = 100 रुपये थी । ऐसी

स्थिति में लाइसेंस को 5 अमरीकी डालर के लिए जारी किया गया हुआ समझा जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस लाइसेंस को 100 रुपए या 5 अमरीकी डालर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए वैध माना जाएगा। यह मानते हुए कि उक्त लाइसेंस के मद्दे जून, 1991 में 30 रुपए मूल्य के माल का आयात किया गया जो कि उस समय प्रचलित 4 अमरीकी डालर = 100/- रुपए की दर से 1.2 अमरीकी डालर के बराबर था। इस लाइसेंस को 70/- रुपए अर्थात् 3.8 अमरीकी डालर की शेष राशि छोड़ते हुए 1.2 अमरीकी डालर के बराबर 30/- रुपए के लिए अंकित किया जाएगा। इसके बाद अक्तूबर, 1991 में उस समय प्रचलित 3 अमरीकी डालर—100/- रुपए की विनिमय दर पर 66/- रुपए अर्थात् 2 अमरीकी डालर के लिए दूसरी खेप का आयात किया गया। अब लाइसेंस में शेष राशि भारतीय मुद्रा में केवल 4/- रुपए होगी लेकिन विदेशी मुद्रा में यह शेष राशि 1.8 अमरीकी डालर होगी। रुपए मूल्य में उपलब्ध शेष राशि को नजरअन्दाज करते हुए उक्त लाइसेंस को आगे भी आयात की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर 1.8 अमरीकी डालर मूल्य के बराबर माल के आयात के लिए वैध समझा जाएगा।

3. जिन मामलों में निर्यात आभार मात्रा अथवा मूल्य की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, वहां उपर्युक्त प्रक्रिया इस शर्त के अधीन होगी कि सीमाशुल्क प्राधिकारी लाइसेंस जारी होने की तारीख को प्रचलित सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचित "विनिमय दर" पर डी ई ई सी पुस्तक के भाग ङ में उल्लिखित निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को भी अमरीकी डालर में परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार अमरीकी डालर में प्राप्त पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा डी ई ई सी पुस्तक के भाग-ङ और लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति में भी पृष्ठांकित किया जाएगा। इस प्रकार लाइसेंसधारी को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस और डी ई ई सी पुस्तक के भाग-ङ में पृष्ठांकित अमरीकी डालरों में निर्यात आभार को पूरा करना होगा।

दृष्टान्त :

मान लो 5 फरवरी, 1991 को एक अग्रिम लाइसेंस और डी ई ई सी पुस्तक जारी की गई थी जिसमें माल का आयात मूल्य 100/- रुपये और निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 150/- रुपये दिखाया गया है। यदि निर्यातक उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहता है तो डी ई ई सी पुस्तक के भाग-ङ में उल्लिखित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को डालर में अमरीकी डालर 5-100/- रुपये में परिवर्तित कर दिया जायेगा जो कि डी ई ई सी पुस्तक के जारी करने की तारीख को "विनिमय दर" थी। इस प्रकार प्राप्त 7.5 डालर के पोत पर्यन्त निर्यातक को आगे और माल का निर्यात करना होगा जो रुपये के अनुसार (50/- रुपये मात्र) के आभार तक ही सीमित न रह कर निर्यात की तारीख को प्रचलित "विनिमय दर" पर 3.5 डालर के समकक्ष होगा। इस प्रकार निर्यात आभार को रुपये के अनुसार स्वतः बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

4. जो लाइसेंसधारी उपर्युक्त सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय में अग्रिम निःशुल्क मूल्य को डी ई ई सी पुस्तक के भाग-ङ में और अग्रिम लाइसेंस में पृष्ठांकित कर दिया जाएगा। मान लो जनवरी, 1992 में अमरीकी डालर—4 = 100/- रुपये की प्रचलित विनिमय दर पर 1090/- रुपये के माल का निर्यात किया गया था तो प्राप्त किया जाने वाला शेष पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य रुपये के अनुसार 50/- रुपये और डालर के अनुसार 3.5 डालर होगा। लाइसेंसिंग समिति को आवेदन पत्र भेजना होगा जिसमें वह कारण देने होंगे कि वे उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का लाभ क्यों नहीं उठा सकते हैं और ऐसे मामलों पर समुचित निर्णय लेने के लिए गुणों के आधार पर अलग-अलग विचार किया जायेगा। वह निर्णय लाइसेंस धारियों को मानना होगा।

5. यह सार्वजनिक हित में जारी किया गया है।

डी. भार. मेहता मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 41(PN) 1992—97

New Delhi, the 8th September, 1992

Subject :—Procedure for debiting Advance Licences issued during the licensing periods 1991-92 and earlier (excluding Pass Book)

F. No. HB/15/1/92—97.—The holders of licences under the Duty Exemption Scheme (except Pass Book) issued during the licensing period 1991-92 and earlier have represented that the Customs authorities are not allowing condonaion of excess in the rupee value of imports arising out of using the market date of exchange and are insisting on payment of duty on the value over and above the rupee value indicated in the Licences and the DEEC Book. In order to obviate this difficulty, in exercise of powers conferred under Para 16 of the Export & Import Policy (1992-97), it has been decided that the following procedure shall be followed with regard to debit of Licences issued under Duty Exemption Scheme during the licensing period, 1991-92 and earlier.

2. In cases where the Licence holder has discharged the export obligation in full in terms of quantity as well as value, the Customs authorities will convert the import value indicated in rupees in the Licence to US dollars as per the "exchange rate" prevailing on the date of issue of such Licence as announced by the Customs authorities from time to time. The value so arrived at in US dollars shall be endorsed on the Licence and the DEEC book by the customs authorities. Debits against such licences and the DEEC book will be done at par with the licences issued in the current policy period 1992—97 as per provisions of Paras 231 and 232 of Hand-Book of Procedure. Earlier debits already made will also be so regularised. It will not, therefore, be necessary to obtain specific endorsement for increase in c.i.f. value from licensing authorities in individual cases.

ILLUSTRATION :

Suppose a licence was issued on February 5, 1991, for a total c.i.f. value of Rs. 100 and the "exchange rate" prevailing on that date was US $ 5 = Rs. 100. The licence will be deemed to have been issued for US $ 5. The licence will be endorsed by the Customs authorities as valid for c.i.f. value for Rs. 100 or US $ 5. Supposing that goods worth Rs. 30 were imported against the said licence in June, 1991, which were equal to US $ 1.2 at the then prevailing rate of US $ 4 = Rs. 100. his licence will be debited for Rs. 30, equal to US $ 1.2, leaving a balance of Rs. 70 i.e. US $ 3.8. Later the second consignment was imported in October, 1991, for Rs. 66 i.e., US $ 2 at the then prevailing exchange rate of US $ 3 = Rs. 100. Now the balance in the licence will be only Rs. 4 in Indian currency but will have a balance of US $ 1.8 in foreign exchange. The said licence will be deemed to be valid for further import of goods equivalent to the value of US $ 1.8 at the exchange rate prevailing on the date of import irrespective of the balance available in the rupee value.

3. In cases where the export obligation has not been discharged in full in terms of either quantity or value,

the above procedure shall be subject to the condition that the Customs authorities will also convert f.o.b. value of exports indicated in Part E of the DEEC Book to US $ at the customs notified "exchange rate" prevailing on the date of issue of the Licence. The f.o.b. value in US $ so arrived, will be endorsed by the Customs authorities in part E of the DEEC book as well as on the Customs copy of the Licence. The Licence holder shall be required to fulfil the export obligation in US dollars so endorsed by the Customs authorities in the Licence and Part E of the DEEC Book.

ILLUSTRATION :

Supposing an advance licence and DEEC book was issued on February 5, 1991, showing import value of goods as Rs. 100 and f.o.b. value of export as Rs. 150. If the exporter wants to avail of the benefit of the procedure indicated in Para 2 above, the f.o.b. value indicated in Part E of the DEEC book will be converted into dollars at US $ 5 = Rs. 100 being the exchange rate" on the date of issue of the DEEC book. Thus, the f.o.b. value of dollar 7.5 so arrived at will also be endorsed in Part E of the DEEC book as well as the Advance Licence. Suppose an export of goods valued at Rs. 1090 at the prevailing exchange rate of US $ 4 = Rs. 100 was made in January, 1992, the balance f.o.b. value required to be achieved will be Rs. 50 in rupee terms and dollars 3.5 in dollars terms. The exporter will be required to further export goods equivalent to dollar 3.5 at the "exchange rate" prevailing on the date of export without confining to the obligation in rupee terms (Rs. 50 only), Thus the export obligation in rupee terms will be deemed to have been automatically enhanced.

4. The licence holders who do not wish to avail of the above facility may make application to the Advance Licensing Committee in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports stating reasons as to why they cannot avail of the procedure prescribed hereinabove and such cases shall be considered individually on merit for appropriate decision which shall be binding on the licence holders.

5 This is issued in public interest

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports and Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992